

(TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA PART-I SECTION-1)

No. F.9-25/2000-U3(A)Pt.3

Government of India

Ministry of Human Resource Development

(Department of Higher Education)

U.3(A) Section

Shastri Bhawan, New Delhi-1,

Dated the 16th December, 2019

NOTIFICATION

Whereas, the Central Government is empowered under Section 3 of the University Grants Commission (UGC) Act, 1956 to declare, on the advice of the UGC, an Institution of higher learning as deemed to be University.

2. **And whereas**, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government, vide its Notification No. 9-25/2000-U.3 dated 13th January, 2003, on the advice of UGC, had declared 'Amrita Vishwa Vidyapeetham' Coimbatore, Tamil Nadu consisting of following five Institutions as an Institution Deemed to be University under Section 3 of the UGC Act, 1956 subject to a review after five years:

- i. Amrita Institute of Technology and Science, Ettimadai Campus, Coimbatore;
- ii. Amrita Institute of Management, Ettimadai Campus, Coimbatore;
- iii. Amrita Institute of Medical Sciences and Research Centre, Kochi;
- iv. Amrita Institute of Pharmaceutical Sciences, Kochi; and
- v. Amrita Institute of Nursing Sciences, Kochi.

3. **And whereas**, as per the provisions of the Ministry's Notification dated 13.01.2003, an Expert Committee was constituted by the UGC to review the functioning of the Amrita Vishwa Vidyapeetham, Coimbatore. Further, the Central Government, vide its Notification No.9-25/2000-U.3A dated 30th September, 2016, on the advice of the UGC, extended the status of Deemed to be University of 'Amrita Vishwa Vidyapeetham' Coimbatore, Tamil Nadu for another period of five years i.e. from 13.01.2008 to 12.01.2013.


4. **And further whereas**, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government, vide its Notification Nos.9-25/2000-U3(A)Pt.3 dated 27th March, 2017, 19th January, 2018 & 6th June, 2018, on the advice of the UGC, extended the status of Deemed to be University of 'Amrita Vishwa Vidyapeetham' Coimbatore, Tamil 13.01.2013 to 12.07.2019 subject to condition that further extension shall only be given if a separate Society in the name of Deemed to be University is created and all the moveable and immovable assets are legally transferred in the newly created Society.

5. **And whereas**, the UGC constituted an Expert Committee to examine the performance and academic outcomes of the Amrita Vishwa Vidyapeetham, Coimbatore, Tamil Nadu. The Committee, in its report, gave the **excellent** grade to Amrita Vishwa Vidyapeetham, Coimbatore, Tamil Nadu on academic performance of the Institution and recommended for continuation of their Deemed to be University status. The report of the UGC Committee was considered by the Commission in its 544th meeting (Item No.2.12) held on 16.10.2019 in which the following resolution was passed:

"The Commission considered the report of the UGC Expert Standing Committee and resolved to continue/extend Deemed to be University status for those Institutions who were rated Excellent, Very Good & Good for academic performance by the Expert Committee. However, those Deemed to be Universities which were rated poor and average for academic performance will not be granted continuation / extension."

6. **Now, therefore**, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government, on the advice of UGC and also after ensuring compliance of the conditions of the earlier Notifications, hereby extends the Deemed to be University status of Amrita Vishwa Vidyapeetham, Coimbatore, Tamil Nadu from 13.07.2019 onwards.

7. The all other conditions mentioned in the earlier Notification(s) of this Ministry as well as the Rules / Regulations of UGC and other Statutory Councils, issued from time to time, shall continue to be adhered by Amrita Vishwa Vidyapeetham, Coimbatore, Tamil Nadu.



(V.L.V.S.S. Subba Rao)
Senior Economic Advisor
Tel: 011-23073687

The Manager,
Government of India Press,
Minto Road, New Delhi - 110002.

Copy forwarded to:-

1. The Secretary, University Grants Commission, New Delhi.
2. The Vice-Chancellor, Amrita Vishwa Vidyapeetham (Deemed to be University), Coimbatore, Tamil Nadu-641105.
3. The Member Secretary, All India Council for Technical Education (AICTE), Nelson Mandela Marg, Vasant Kunj, New Delhi-110070.
4. The Secretary, Medical Council of India, Pocket - 14, Sector - 8, Dwarka Phase - 1, New Delhi - 110077.
5. The Secretary, Indian Nursing Council, Combined Council Building, Kotla Road, Temple Lane, New Delhi.

6. The Secretary, Department of Higher Education, Government of Tamil Nadu, Fort. St, George, Chennai, Tamil Nadu-600 009.
7. The Secretary, Department of Higher Education, Government of Kerala, Thiruvananthapuram, Kerala.
8. The Secretary, Department of Higher Education, Government of Karnataka, Thiruvananthapuram, Kerala.
9. Press Information Bureau, Shastri Bhawan, New Delhi.
10. The Secretary General, Association of Indian Universities, AIU House, 16, Kotla Marg, New Delhi-2.
11. Web Master, Department of Higher Education, Shastri Bhavan, New Delhi. It is requested that CMIS Unit may kindly be instructed to display the Notification on the website (Home site) of the Department.
12. Guard file / Notification file.


(V.L.V.S.S. Subba Rao)
Senior Economic Advisor
Tel: 011-23073687

(भारत के राजपत्र के भाग-1, खंड-1 में प्रकाशनार्थ)

सं.एफ. 9-25/2000-यू.3 (ए) पार्ट.3

भारत सरकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(उच्चतर शिक्षा विभाग)

यू.3(ए) अनुभाग

शास्त्री भवन, नई दिल्ली- 01,

दिनांक: 16 दिसम्बर, 2019

अधिसूचना

जबकि, केन्द्र सरकार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत, यूजीसी की सलाह पर किसी उच्चतर अधिगम संस्था को सम-विश्वविद्यालय घोषित करने की शक्ति प्राप्त है।

2. और जबकि, यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार ने यूजीसी की सलाह पर अपनी दिनांक 13 जनवरी 2003 की अधिसूचना सं. 9-25/2000-यू.3 के माध्यम से 'अमिता विश्व विद्यापीठम' कोयम्बटूर, तमिलनाडु जिसमें निम्नलिखित पांच शिक्षण संस्थान शामिल हैं, को पांच वर्षों के पश्चात समीक्षा के अध्यक्षीन, यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत सम विश्वविद्यालय घोषित किया था।

- i. अमिता प्रौद्योगिकी और विज्ञान संस्थान, एट्टीमादाई परिसर, कोयम्बटूर;
- ii. अमिता प्रबंधन संस्थान, एट्टीमादाई परिसर, कोयम्बटूर;
- iii. अमिता चिकित्सा विज्ञान संस्थान और अनुसंधान केन्द्र, कोचि;
- iv. अमिता इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मासूटिकल्स साइंस, कोचि; और
- v. अमिता इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग साइंस, कोचि

3. और जबकि, मंत्रालय की दिनांक 13.01.2003 की अधिसूचना के प्रावधानों के अनुसार अमिता विश्व विद्यापीठम, कोयम्बटूर के कार्यकरण की समीक्षा करने हेतु यूजीसी द्वारा एक विशेष समिति का गठन किया गया था। इसके अतिरिक्त, केन्द्र सरकार ने, यूजीसी की सलाह पर अपनी दिनांक 30 सितम्बर, 2016 की अधिसूचना सं. 9-25/2000-यू.3ए के माध्यम से अमिता विश्व विद्यापीठम, कोयम्बटूर, तमिलनाडु के सम विश्वविद्यालय के दर्जे को अगले पांच वर्षों की अवधि अर्थात 13.01.2008 से 12.01.2013 तक बढ़ा दिया था।

4. और इसके अतिरिक्त जबकि, यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार ने यूजीसी की सलाह पर अपनी दिनांक 27 मार्च 2017, 19


जनवरी, 2018 और 6 जून, 2018 की अधिसूचना सं. 9-25/2000-यू.3 (ए) पार्ट.3 के माध्यम से 'अमिता विश्व विद्यापीठम' कोयम्बटूर, तमिलनाडु के सम विश्वविद्यालय के दर्जे का 13.01.2013 से 12.07.2019 तक विस्तार इस शर्त के अधीन किया कि आगे विस्तार तभी किया जाएगा यदि सम विश्वविद्यालय के नाम पर एक पृथक सोसायटी का निर्माण किया जाए और सभी चल और अचल परिसंपत्तियों को विधिक रूप से नई बनायी गई सोसायटी के नाम अंतरित किया जाए।

5. और जबकि, यूजीसी ने 'अमिता विश्व विद्यापीठम' कोयम्बटूर, तमिलनाडु के कार्य निष्पादन और शैक्षिक परिणामों की समीक्षा करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया था। समिति ने संस्थान के शैक्षणिक कार्यनिष्पादन के आधार पर 'अमिता विश्व विद्यापीठम' कोयम्बटूर, तमिलनाडु को बहुत उत्कृष्ट ग्रेड प्रदान किया था और सम विश्वविद्यालय का दर्जा जारी रखने की सिफारिश की थी। यूजीसी समिति की रिपोर्ट पर आयोग की दिनांक 16.10.2019 को हुई 544वीं बैठक (मद सं.2.12) में विचार किया गया था जिसमें निम्नलिखित संकल्प पारित किया था:

"आयोग ने यूजीसी की विशेषज्ञ स्थायी समिति की रिपोर्ट पर विचार किया और उन संस्थाओं जिन्हें विशेषज्ञ समिति द्वारा शैक्षणिक कार्यनिष्पादन के लिए उत्कृष्ट, बहुत अच्छा एवं अच्छा" रेटिंग प्रदान की गई है, का समविश्वविद्यालय का दर्जा जारी रखने/बढ़ाने का निर्णय किया है। तथापि, वे समविश्वविद्यालय जिन्हें शैक्षणिक कार्यनिष्पादन हेतु खराब और औसत रेटिंग प्रदान की गई है, उन्हें विस्तार/निरंतरता प्रदान नहीं की जाएगी।"

6. अब, इसलिए, केन्द्र सरकार, यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यूजीसी के परामर्श और साथ ही पूर्व की अधिसूचनाओं की शर्तों के अनुपालन की सुनिश्चितता के पश्चात एतद्वारा 'अमिता विश्व विद्यापीठम' कोयम्बटूर, तमिलनाडु के समविश्वविद्यालय के दर्जे का 13.07.2019 से आगे विस्तार करती है।

7. 'अमिता विश्व विद्यापीठम' कोयम्बटूर, तमिलनाडु द्वारा इस मंत्रालय की पूर्व अधिसूचना (अधिसूचनाओं) में उल्लिखित सभी अन्य शर्तों के साथ-साथ यूजीसी और अन्य सांविधिक परिषदों द्वारा समय-समय पर जारी किए जाने वाले नियमों/विनियमों का अनुपालन किया जाएगा।


(वी.एल.वी.एस.एस. सुब्बा राव)
वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार
टेलि. 011-23073687

प्रबंधक,
भारत सरकार मुद्रणालय,
मिन्टो रोड, नई दिल्ली - 110002

प्रतिलिपि अग्रेषितः

1. सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली।
2. कुलपति, अमिता विश्व विद्यापीठम' (सम विश्वविद्यालय) कोयम्बटूर, तमिलनाडु - 641105
3. सदस्य सचिव, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई), नेल्सन मंडेला मार्ग, वसंत कुंज, नई दिल्ली- 110070
4. सचिव, भारतीय चिकित्सा परिषद (एमसीआई), पाकेट-14, सेक्टर -8, द्वारका फेज-1, नई दिल्ली-110077।
5. सचिव, भारतीय नर्सिंग परिषद (डीसीआई), संयुक्त परिषद भवन, कोटला रोड़, टेंपल लेन, नई दिल्ली।
6. सचिव, उच्चतर शिक्षा विभाग, तमिलनाडु सरकार, फोर्ट सेंट जॉर्ज, चेन्नई तमिलनाडु 600 009।
7. सचिव, उच्चतर शिक्षा विभाग, केरल सरकार, तिरुवनंतपुरम, केरल।
8. सचिव, उच्चतर शिक्षा विभाग, कर्नाटक सरकार, कर्नाटक।
9. पत्र सूचना कार्यालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली
10. महा-सचिव, भारतीय विश्वविद्यालय संघ, एआईयू हाउस, 16, कोटला मार्ग, नई दिल्ली- 110002
11. वेब मास्टर, उच्चतर शिक्षा विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली। अनुरोध है कि सीएमआईएस एकक इसे विभाग की वेसाइट (होम साइट) पर प्रदर्शित करें।
12. गार्ड फाइल/अधिसूचना फाइल।

सुब्बा राव
(वी.एल.वी.एस.एस. सुब्बा राव)
वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार
टेलि. 011-23073687